(1)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(रामचरन शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 02/2023
जीसीएमएस न0 :— 2023/6
दायर दिनांक :— 03.01.2023
निर्णय दिनांक :— 12.07.2023

अनवान

1. गोकुललाल पिता शिवा जाति तेली आयु 49 वर्ष निवासी नारायणगंज (ओडा) ग्राम पंचायत ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

-----निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत ओडा, जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ओडा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

------गैरनिगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994
ग्राम पंचायत ओडा पंचायत समिति रेलमगरा द्वारा जारी पटटा 7660 दिनांक 10.01.2022
संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.01.2022

उपस्थित :—

1— श्री उदयलाल कुमावत, अधिवक्ता निगराकार
2— श्री अनिल कुमार बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

—: निर्णय :—

निर्णय दिनांक 12.07.2023

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । ग्राम पंचायत ओडा के ग्राम नारायणगंज तहसील रेलमगरा की आबादी भूमि में जिसमें निगराकार का मकान स्थित है, उसके आराजी नम्बर अंकित नही कर गलत आराजी नम्बर अंकित कर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया, ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पटटे से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी तथा शामिल मिसल की गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि निगराकार का एक पैतृक मकान ग्राम नारायणगंज ग्राम पंचायत ओडा में स्थित है, इस मकान का पट्टा नहीं होने से निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत ओडा में पट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, निगराकार द्वारा प्ट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ग्राम पंचायत ओडा द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.01.2022 की अनुपालना में मिसल नम्बर 101 के अनुसार दिनांक 10.01.2022 को पट्टा निगराकार के पक्ष में पट्टा संख्या 7660

P.T.O.

जारी किया गया, निगराकार के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के पश्चात उपपंजीयक कार्यालय रेलमगरा में विधिवत् दिनांक 02.03.2022 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 286 में पृष्ठ संख्या 20 कम संख्या 202203488101044 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 759 के पृष्ठ संख्या 95 से 99 पर चस्पा किया गया है, ग्राम पंचायत ओडा के ग्राम नारायणगंज की आबादी भूमि जिसमें निगराकार का मकान स्थित है, उसके वर्तमान आराजी नम्बर न होकर ग्राम पंचायत के कार्यालय से जो पट्टा जारी किया गया उसमें सहवन से वर्तमान आराजी नम्बर 220 अंकित हो गया है, और यह आराजी अन्य लोगो की कृषि भूमि रिकार्ड में दर्ज है, इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे में आबादी की आ0स0 की बजाय गलत आराजी संख्या 220 अंकित कर दिये जाने से उक्त जारी पट्टा ही अवैद्य एवं विधि विरूद्ध है, तथा काबिल निरस्त है। अतः निवेदन है कि निगरानीकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत ओडा द्वारा दिनांक 05.01.2022 को पारित प्रस्ताव संख्या 02 एवं पट्टा संख्या 7660 दिनांक 10.01.2022 को जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

गैर निगराकार की ओर से ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच, ग्राम पंचायत ओडा, पचायत समिति रेलमगरा द्वारा दिनांक 24.01.2023 को लिखित में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत ओडा द्वारा जारी पट्टा श्री गोकुल पिता शिवा तेली निवासी नारायणगंज जो वर्तमान में आराजी संख्या 255 मे ही इनका मकान स्थित है परन्तु पंचायत में शिविर कार्य की अधिकता के कारण पट्टे पर आराजी संख्या 220 दर्ज हो गया है, अतः पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, विधिक नजीरों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत ओडा, पंचायत समिति रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब दिनांक 24.01.2023, दृष्टिगत के आधारों पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ओडा द्वारा दिनांक 05.01.2022 को पारित प्रस्ताव संख्या 02 एवं पट्टा संख्या 7660 दिनांक 10.01.2022 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ओडा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के मौके कि वस्तु स्थिति, **राजस्थान पंचायती राज अधिनियम–1994, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956** में निहित विधिक प्रावधानों एवं नियमों के परिपेक्ष्य में परिक्षण कर उपरोक्त आर्ब्जवेशन को दृष्टिगत रखते हुए विधिक प्रकियानुसार विधि सम्मत कार्यवाही सम्पादित करें।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, सक्षम अधिकारिता वाले संबंधित को विधिक प्रावधानों एवं नियमों के परिपेक्ष्य में नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित हों। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

12/07/2023

(रामचरन शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द